भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषिए सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 145**

**02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ**

**विषय: जैविक खेती को बढ़ावा देना**

**145. श्री कल्याण बनर्जीः**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः**

(क) क्या इस समय भारत का सकल फसल क्षेत्रफल 198.4मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) और निवल बुआई क्षेत्रफल 140.1मिलियन हेक्टेयर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में लगभग 52 प्रतिशत कृषिवर्षा-सिंचित होती है और पहाड़ी क्षेत्र इसमें बहुत कम मात्रा मेंरासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा गठितकार्य बल ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कम से कम12500 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय आवंटन की सिफारिश कीथी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2016 से लेकर अब तक, देश में अत्यावश्यक जैविकऔर प्राकृतिक खेती अभियान को शीघ्र शुरू करने के लिए व्यापकनीति बनाने और इस हेतु बजट में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वाराक्या कार्रवाई की जा रही है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री**

**(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) भू-उपयोग सांख्यिकी 2016-17 (नवीनतम उपलब्ध) कीरिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल फसलीकृत और नविल बोया गया क्षेत्र क्रमशः 200.2 मिलियन हेक्टेयर और 139.4 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) और (ग) भू-उपयोग सांख्यिकी 2016-17 (नवीनतम उपलब्ध) कीरिपोर्ट के अनुसार,भारत की51 प्रतिशत कृषि असिंचित/वर्षा सिंचित है। 2019-20 के दौरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम (एनपीके) की अखिल भारतीय खपत 133.44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी जैसे राज्यों ने एनपीके की खपत अखिल भारतीय औसत से नीचे सूचितकी है।

एनपीके खपत का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध- I**में दिया गया है

(घ) तथा (ड़) जैविक खेती पर कार्यदलका गठन निम्नानुसार संभावनाओं को तलाशने के लिए किया गया है:

• विभिन्न फसलों/पौधरोपण के उत्पादन की संभावना

• विभिन्न राज्यों में जैविक आदानों (खाद, जैवकीटनाशी आदि) और बुआई की दशाओं का अंतर्वेशन।

• देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार।

नीति निर्देशों के आधार पर, भारत सरकार भी प्रतिबद्ध योजनाओं के माध्यम से राज्यों में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है,नामत:परमपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) 2015-16 में शुरू की गई है। दोनों योजनाओं का उद्देश्य रासायन मुक्त कम आदान लागत वाली सतत जैविक खेती पर आधारित समूहों/किसानउत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना है और किसानों को आदान खरीद से लेकर बाजार सम्पर्कों सेआदान खरीद में किसानों की सहायता करना तथा निम्नानुसारबजट आवंटन केतहत समर्थन करना है:

• आज की तारीख तक पीकेवीवाई योजना के तहत बजट आवंटन2132 करोड़ रु है।

• आज की तारीख तक एमओवीसीडीएनईआरयोजना के तहत बजट आवंटन 820 करोड़ रु है।

**परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)**

सरकार सतत उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और मृदा स्वास्थ्य पर जोर देने के साथ-साथ जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना अर्थात परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू करने

के साथ जैविक खेती को अपनाने के लिए किसान को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। पीकेवीवाईयोजना को क्लस्टर मोड में न्यूनतम 20 हैक्टेयर आकार वाले भूखण्डों में कार्यान्वित किया जाता है और जैविक कृषि का विपणन सुकर बनाने के लिए राज्यों से समतल क्षेत्र में 1000हेक्टेयर के क्लस्टर आकार तथा पहाड़ी क्षेत्र में 500हेक्टेयर क्लस्टर केआकार में कार्यान्वितकरने के लिए कहा गया है।

**पूर्वोत्तर केक्षेत्रों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट:**

योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए वेल्यूचैन मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना और संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण विपणन और ब्रांड के लिए सुविधाओं के निर्माण के लिए आदान,बीज,प्रमाणन से शुरू करते हुए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करना है। योजना का मुख्य ध्यान उपज के निर्यात पर है। इस योजना को 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तीन वर्षो के लिए अनुमोदित किया गया था।

इसके अलावा,वर्तमान में, सरकार उत्पादन वृद्धि की तुलना में उत्पादन के विपणन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि किसानों को जैविक उत्पादों सहित अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, एक समर्पित वेब पोर्टल- www.Jaivikkheti.in/ भी बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत पाने के लिए उपभोक्ताओं से सीधे जुड़कर जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। यह जैविक खेती के लिए एक समर्पित पोर्टल है। इस पोर्टल को सूचना मंच और विपणन मंच दोनों के रूप में विकसित किया गया है। जैविक कृषि करनेवालेकिसानों,आदान आपूर्तिकर्ताओं, प्रमाणन एजेंसियों,विपणन एजेंसियों का विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके तहत, आरकेवीवाई/पीजीएस समूह क्षमता निर्माण की जानकारी, संपर्क विपणन संपर्क/अन्य समूहों का निर्माण कर सकते हैं और संभावित खरीदारों और उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए प्रत्यक्ष विपणन का लाभ उठा सकते हैं। कुल 3.47 लाख किसानों को जैविक खेती पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया है।

अनुबंध

दिनांक 2.2.2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के भाग (ख) तथा(ग) मेंउल्लेखित अनुबंध

2019-20 के दौरान पोषक तत्वों की खपत तथा प्रति हेक्टेयर (राज्यवार) खपत

| क्र.सं. | राज्य/संघ रा. क्षेत्र | खपत ('000 टन में) | | | | प्रति हेक्टेयर पोषक तत्वों की खपत किग्रा में | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एन | पी | के | कुल | एन | पी | के | कुल |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 980.95 | 490.29 | 211.79 | 1683.03 | 114.13 | 57.04 | 24.64 | 195.81 |
| 2 | तेलंगाना | 987.09 | 369.68 | 122.41 | 1479.18 | 137.81 | 51.61 | 17.09 | 206.52 |
| 3 | कर्नाटक | 1017.59 | 560.33 | 282.99 | 1860.91 | 83.23 | 45.83 | 23.15 | 152.21 |
| 4 | केरल | 79.27 | 33.77 | 61.83 | 174.87 | 16.54 | 7.05 | 12.90 | 36.49 |
| 5 | तमिलनाड़ | 582.30 | 233.56 | 171.31 | 987.17 | 95.45 | 38.29 | 28.08 | 161.82 |
| 6 | पद्चैरी | 6.78 | 1.83 | 0.91 | 9.52 | 174.32 | 47.05 | 23.40 | 244.77 |
| 7 | अण्डमान एवं निकोबार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | लक्षदवीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | दक्षिण जोन कुल | 3653.98 | 1689.46 | 851.24 | 6194.68 | 93.79 | 43.37 | 21.85 | 159.01 |
| 9 | गुजरात | 1296.44 | 381.65 | 113.58 | 1791.67 | 94.61 | 27.85 | 8.29 | 130.75 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 1673.06 | 894.31 | 116.02 | 2683.39 | 63.90 | 34.16 | 4.43 | 102.49 |
| 11 | छत्तीसगढ़ | 449.68 | 225.53 | 62.14 | 737.35 | 67.85 | 34.03 | 9.38 | 111.26 |
| 12 | महाराष्ट्र | 1560.96 | 898.21 | 482.12 | 2941.29 | 62.48 | 35.95 | 19.30 | 117.74 |
| 13 | राजस्थान | 1217.55 | 479.06 | 20.97 | 1717.58 | 44.15 | 17.37 | 0.76 | 62.28 |
| 14 | गोवा | 1.34 | 0.87 | 1.01 | 3.22 | 12.98 | 8.45 | 9.78 | 31.21 |
| 15 | दमन एवं दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | दादर एवं नागर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पश्चिमी जोन कुल | 6199.03 | 2879.63 | 795.84 | 9874.50 | 62.49 | 29.03 | 8.02 | 99.55 |
| 17 | हरियाणा | 1069.64 | 302.93 | 37.88 | 1410.45 | 161.43 | 45.72 | 5.72 | 212.86 |
| 18 | पंजाब | 1499.79 | 363.06 | 43.03 | 1905.88 | 191.27 | 46.30 | 5.49 | 243.06 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 3740.23 | 1226.82 | 205.92 | 5172.97 | 130.42 | 42.78 | 7.18 | 180.37 |
| 20 | उत्तराखण्ड | 123.87 | 30.73 | 8.81 | 163.41 | 103.44 | 25.66 | 7.36 | 136.46 |
| 21 | हिमाचल प्रदेश | 38.29 | 10.38 | 9.95 | 58.62 | 41.96 | 11.38 | 10.90 | 64.24 |
| 22 | जम्मू और कश्मीर | 50.82 | 16.83 | 11.19 | 78.84 | 26.33 | 8.72 | 5.80 | 40.85 |
| 23 | दिल्ली | 12.27 | 2.05 | 0.32 | 14.64 | 118.15 | 19.74 | 3.08 | 140.97 |
| 24 | चण्डीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | उत्तर जोनकुल | 6534.91 | 1952.80 | 317.10 | 8804.81 | 138.19 | 41.29 | 6.71 | 186.19 |
| 25 | बिहार | 1235.32 | 423.35 | 161.83 | 1820.50 | 166.42 | 57.03 | 21.80 | 245.25 |
| 26 | झारखण्ड | 131.90 | 45.18 | 4.59 | 181.67 | 43.79 | 15.00 | 1.52 | 60.32 |
| 27 | ओड़ीशा | 348.21 | 151.22 | 74.95 | 574.38 | 40.73 | 17.69 | 8.77 | 67.19 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 790.07 | 460.47 | 348.62 | 1599.16 | 82.95 | 48.35 | 36.60 | 167.90 |
| | पूर्वी जोन कुल | 2505.50 | 1080.22 | 589.99 | 4175.71 | 87.89 | 37.89 | 20.70 | 146.48 |
| 29 | असम | 181.74 | 50.12 | 46.47 | 278.33 | 40.16 | 11.08 | 10.27 | 61.51 |
| 30 | त्रिपुरा | 8.73 | 5.62 | 5.28 | 19.63 | 15.44 | 9.94 | 9.34 | 34.71 |
| 31 | मणिपुर | 12.82 | 3.70 | 0.98 | 17.50 | 38.02 | 10.97 | 2.91 | 51.90 |
| 32 | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | नागालैण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 34 | अरूणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 35 | मिजोरम | 3.78 | 0.21 | 0.09 | 4.08 | 29.62 | 1.65 | 0.71 | 31.97 |
| 36 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | उत्तर पूर्व कुल | 207.07 | 59.65 | 52.82 | 319.54 | 33.72 | 9.71 | 8.60 | 52.03 |
| | अखिल भारत | 19100.49 | 7661.76 | 2606.99 | 29369.24 | 86.78 | 34.81 | 11.84 | 133.44 |

स्रोत :-एनपीके की खपत एमएफएमएसपोर्टलएन:नाइट्रोजन पी: फॉस्फोरस के: पोटैसियम

******